न्यायालयः— श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण

परिवाद संख्या— 865 / 2025

न्यायालय में
मनीषा कुमारी .....परिवादिनी

बनाम

कन्हैया यादव उर्फ पवन यादव एवं अन्य.....अभियुक्तगण

04.06.2026

न्यायालय के समक्ष अभिलेख आज दिनांक 04.06.2026 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत परिवाद पत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 के अन्तर्गत आदेशिका जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा की धारा 226 के अधीन परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। अभिलेख का परीशीलन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में नामीत अभियुक्तगण 1. कन्हैया यादव उर्फ पवन यादव 2. अवधेश यादव 3. शिवकली देवी 4. गुड्डु यादव 5. रंजना देवी के विरूद्ध अन्तर्गत भा0 न्या0 सं0 धारा 85, 115(2) 352, 3(5) अधिनियम एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संस्थित किया गया हैं। पत्रावली परिवादी के सशपथ बयान एवं जॉच साक्षियों के जांच साक्ष्य हेतु विगत कई तिथियो पर नियत हुई परंतु परिवादिनी द्वारा स्वयं का सशपथ बयान एवं किसी भी जॉच साक्षी का जॉच साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अंकित नही कराया। दिनांक 25.02.2026 को परिवादिनी के सशपथ बयान एवं जॉच साक्षियों के जॉच साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु परिवादिनी द्वारा स्वयं का सशपथ बयान एवं जांच साक्षियों का जॉच साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया। दिनांक 25.05.2026 को सशपथ बयान एवं जॉच साक्ष्य बंद कर दिया गया। पत्रावली दिनांक 04.06.2026 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत हुई। परंतु दिनांक 04.06.2026 को सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में परिवादी को विभिन्न तिथियों पर सुनवाई करने हेतु अवसर दिया गया। पत्रावली सम्मन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत हुई परंतु सुनवाई हेतु भी कोई उपस्थित नही हुआ। पत्रावली में परिवादिनी लागातार अनुपस्थित चल रहा है तथा उसकी तरफ से वकालतन हाजरी भी नही दी जा रही है। इस प्रकार यह परिवादिनी का कृत्य प्रकट करता है कि उसे वाद में कोई रूची नही है तथा आगे कार्यवाही अग्रसर करना नहीं चाहता है अतः इस परिवाद में एतद द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यो के दृष्टिगत यह आदेश देता है कि परिवादिनी अपने परिवाद को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने में असफल रही है परिवाद में आगें कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही है अतः परिवाद पत्र को 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन खारिज किया जाता हैं। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करे।

दिनांक
04.06.2026

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकार
बगहा, प0 चम्पारण